भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2051

उत्तर देने की तारीख 4 जुलाई, 2019

13 आषाढ़, 1941 (शक)

खेल को विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाना

2051. श्री रेबती त्रीपुराः

श्री विजय कुमार दुबेः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा दिल्ली/एनसीआर विद्यालय से लेकर स्नातक स्तर तक खेल को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चूंकि अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य परीक्षा बोर्डों के अंतर्गत आते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दिल्ली/ एनसीआर के पाठ्यक्रमों सहित स्कूली पाठ्यक्रम अधिकांशत: राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ), 2005 के अनुसार स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह एक वैकल्पिक विषय है। स्नातक स्तर पर छात्र विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में अपनी पसंद के अनुसार उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं।

****